श्रेणी-4 के ठेकेदारों का भी होगा ऑनलाइन निबंधन

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

पथ निर्माण विभाग में 25 लाख रुपए तक के कार्यों की निविदा में भाग लेने के लिए श्रेणी-4 के अभिकर्ता भी अब ऑनलाइन निबंधन करा सकेंगे। इस ऑनलाइन निबंधन सुविधा को विभागीय मंत्री नंदकिशोर यादव ने शुक्रवार को शुरू किया। मंत्री ने कहा कि इससे पहले श्रेणी-1 से 3 तक के अभिकर्ताओं के लिए ही यह सुविधा थी। अब श्रेणी-4 के भी इच्छुक संवेदक 2000 रुपये शुल्क देकर घर बैठे अपना ऑनलाइन निबंधन करा सकेंगे।

श्री यादव ने बताया कि 15 लाख तक की योजनाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसमें निविदा के समय बार-बार जाति प्रमाणपत्र नहीं देना पड़े, इसके लिए निबंधन प्रमाणपत्र में ही जाति का उल्लेख उनको कर देना होगा। इसके तहत अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 1, ईबीसी को 18, पिछड़ा वर्ग को 12 और पिछड़े वर्ग की महिला को 3 आरक्षण दिया गया है। शेष 50 फीसदी कार्य सभी वर्गों के लिए रहेगा। मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक की निविदा स्थानीय प्रचार-प्रसार, जबकि इससे ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 31 अक्टूबर तक श्रेणी-4 (स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी) में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले संवेदकों को मुफ्त क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कराया जाएगा।

इस तरह होगा आनलाइन निबंधन : इसके लिए विभाग की वेबसाइट http://www.rcd.bih.nic.in पर जाकर class- iv Registration का आप्शन चुनना होगा। इसके बाद कंप्यूटर पर ही एक के बाद एक अन्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

प्रशिक्षण भी मिलेगा

- पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने सुविधा की शुरुआत की
- श्रेणी-4 के संवेदक 2000 शुल्क दे कराएंगे ऑनलाइन निबंधन

रजौली- बख्तियारपुर एनएच निर्माण अब केन्द्र के जिम्मे

पटना। रजौली- बख्तियारपुर (एनएच-31) सड़क का निर्माण अब केंद्र कराएगा। इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली थी। मगर ठेकेदार के काम छोड़ जाने से इसका मामला रुका था। इसे केन्द्र ने फिर खुद निर्माण कराने के लिए ले लिया है। यह जानकारी शुक्रवार को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दी। वहीं, आरा-मोहनिया रोड (एनएच-30) का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मंत्री ने कहा कि संशोधित तिथि के अनुसार अब 18 अगस्त को एनएचएआई, एनएच व 19 को पुल निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा होगी। उन्होंने विभाग को यह बताने को कहा है कि राज्य में किन-किन राज्यपथों पर टोल टैक्स लगता है। समीक्षा के बाद यह व्यवस्था करने पर विचार होगा कि यहां पत्रकारों की गाड़ियों को टोल नहीं देना पड़े। कहा, राज्यपथ पर चुंगी वसूलना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। समीक्षा के बाद यहां पत्रकारों के वाहनों को छूट दी जा सकती है।